दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि:13 अप्रैल, 2023

इस मामले में:

ले.पे.अ. 532/2022 और सि वि 12700/2023

मीत मल्होत्रा **....अपीलार्थी**

द्वारा: श्री मीत मल्होत्रा, अपीलार्थी व्यक्तिगत रुप से, श्री रवि एस एस चौहान, श्री पल्लक सिंह, अधिवक्तागण|

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो व अन्य **....प्रत्यर्थी(गण)**

द्वारा: श्री राजेन्द्र साहू, यूओआई के लिए वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता श्री शधन फरासत, रा.रा.क्षे.दि के लिए अति.स्था.अधि.|

श्री जयंत के. मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ एन आर ए आई के अधिवक्ता श्री आदित्य विक्रम सिंह | श्री गौरव सरीन, सुश्री चारूल सरीन, श्री हरीश कुमार, डीएसआरए के अधिवक्तागण|

<u>निर्णय</u>

माननीय मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्रमोणयम प्रसाद

<u>सतीश चंद्र शर्मा, मुख्य न्या.</u>

1. रिट याचिका (सि) संख्या 11410/2021 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 01.08.2022 के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी गई है जिसमें न्यायालय ने इसमें अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें यहाँ अपीलकर्ता ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (लाइसेंसिंग) के कार्यालय द्वारा दिनांक 31.08.2021 को जारी किए गए एक पत्र को चुनौती देने वाली

अंतर्निहित रिट याचिका दायर की, जो शस्त्र (संशोधन) अधिनियम 2019 (इसके पश्चात् 2019 संशोधन) के माध्यम से शस्त्र अधिनियम, 1959 (इसके पश्चात् शस्त्र अधिनियम संदर्भित किया जाएगा) की धारा 3 में किये गये संशोधन पर आधारित थी| वर्तमान अपील से शस्त्र अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या के बारे में एक प्रश्न उठता है अर्थात क्या राइफल क्लब या राइफल एसोसिएशन का कोई सदस्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त और मान्यता प्राप्त है, अग्निशस्त्र के अलावा लक्ष्य अभ्यास के लिए एक .22 बोर राइफल या एक एयर राइफल रख सकता है या नही|

2. संक्षेप में, वर्तमान अपील के लिए अग्रणी तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता, जो इस न्यायालय का एक नामित वरिष्ठ अधिवक्ता है और जो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) का एक आजीवन सदस्य है, के पास तीन अग्निशस्त्र, अर्थात् एक .22 बोर का लक्ष्य पिस्तौल, एक 22 बोर राइफल और एक '.32' बोर रिवॉल्वर। इन आग्नेयास्त्रों का अपीलकर्ता के लाइसेंस पर विधिवत पृष्ठांकित किया गया है। यह कहा गया है कि 2019 के संशोधन से पहले, शस्त्र अधिनियम की धारा 3(2) किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तीन आग्नेयास्त्र ले जाने, या रखने की अनुमति देती थी। यह कहा गया है कि 2019 में शस्त्र अधिनियम में एक संशोधन किया गया था जिसके द्वारा किसी भी समय एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले, अपने पास रखे या ले

जाए जा सकने वाले आग्नेयास्त्रों की संख्या को तीन आग्नेयास्त्रों से घटाकर दो आग्नेयास्त्रों तक लाया गया था। 2019 में संशोधित शस्त्र अधिनियम की धारा 3(2) इस प्रकार हैः

> "3(2) धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, धारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के ले जाना कोई भी व्यक्ति किसी भी समय दो से अधिक आग्नेयास्त्र अर्जित नहीं करेगा, अपने कब्जे में नही रखेगा, या ले जाएगा| परंतु ऐसा व्यक्ति जिसके पास शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का 25) के प्रारंभ पर तीन से अधिक आग्नेयास्त्र हैं, वह उनमे से ऐसे किन्ही तीन आग्नेयास्त्रों को अपने पास रख सकता है और नब्बे दिन के भीतर शेष आग्नेयास्त्रों को धारा 21 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, निकटम पुलिस के प्रभारी अधिकारी के पास अथवा लाइसेंसधारी डीलर के पास या जहां से ऐसा व्यक्ति उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी ईकाई शस्त्रागार में संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है, जमा करेगा।
>
> [परंतु ऐसा व्यक्ति जिसके पास शस्त्र (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ पर दो से अधिक आग्नेयास्त्र हैं, ऐसे दो आग्नेयास्त्र अपने पास रख सकता है और ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर, धारा 21 की धारा (1) के प्रयोजनों के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के पास अथवा लाइसेंसशुदा डीलर के पास या जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है, उस उपधारा में

> निर्दिष्ट यूनिट शस्त्र में, जिसके पश्चात् उपर्युक्त एक वर्ष की समाप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर उसका लाइसेंस समाप्त कर दिया जाएगा बशर्ते कि विरासत या विरासत के आधार पर हथियार लाइसेंस देते समय दो आग्नेयास्त्रों की सीमा से अधिक नहीं होगा।
>
> (जोर दिया गया)

3. यह उल्लेख करना उचित है कि 2019 के संशोधन से पहले, संख्या दो, जैसा कि इसमें ऊपर जोर दिया गया है, तीन थी।

4. यह कहा गया है कि इसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांक 12.12.2020 को अपीलकर्ता को एक ई-मेल जारी किया जिसमें उसे पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में या एक अधिकृत हथियार डीलर के पास दो से अधिक हथियार जमा करने या दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग इकाई द्वारा से इसे ऑनलाइन बेचने/हस्तांतरित करने/उपहार देने का निर्देश दिया गया है। अपीलकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि एक सदस्य होने के आधार पर अपीलकर्ता को शस्त्र अधिनियम की धारा 3(3) के तहत शामिल था क्योंकि उसके पास भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) का लाइसेंस था। उसने .22 बोर की राइफल केवल लक्षित अभ्यास के उद्देश्य के लिए रखी थी और इसलिए, वह अपने साथ तीन आग्नेयास्त्र रखने का हकदार था। शस्त्र अधिनियम की धारा 3 (3) इस प्रकार हैः

"3(3) उपधारा (2) में निहित कोई भी बात आग्नेयास्त्रों के किसी भी डीलर या केंद्रीय सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त राइफल क्लब या राइफल एसोसिएशन के किसी भी सदस्य पर लक्षित अभ्यास के लिए प्वाइंट 22 बोर राइफल या एयर राइफल का उपयोग करने पर लागू नहीं होगी।

5. अपीलकर्ता ने रि.या.(सि.) सं 11410/2021 दाखिल करके निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटायाः

"(i) अनुलग्नक पी-6 (सामूहिक रुप से) को निरस्त करने के लिए उपयुक्त रिट निर्देश या आदेश जारी करना, जो शस्त्र अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के विरुद्ध है, जैसा कि संशोधित किया गया है।

(ii) प्रत्यर्थी 1 और 2 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम 1959 के संशोधन 2019 को लागू करने से रोकने के लिए उचित रिट निर्देश अथवा आदेश जारी करना|

(iii) यह मानते हुए कि शस्त्र अधिनियम, 1959 में 2019 का संशोधन याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होता है, एक उचित रिट निर्देश और आदेश जारी करें |

(iv) कोई भी ऐसा अन्य आदेश/आदेश पारित करें जो माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे"।

6. यह कहा गया है कि चूंकि इस न्यायालय ने अपीलकर्ता को कोई अंतरिम राहत प्रदान नहीं की है, इसलिए उसने अपना एक हथियार, अर्थात्, .22 बोर

की राइफल जो उसके अधिकार में थी, को एक पंजीकृत आग्नेयास्त्र डीलर के पास जमा कर दिया यह कहा गया कि दिनांक 01.08.2022 के आदेश के माध्यम से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित करके रिट याचिका को खारिज कर दियाः

i. शस्त्र अधिनियम की धारा 3(3) हथियारों के डीलर को, अर्थात् ऐसे व्यक्ति को जो आग्नेयास्त्रों को व्यापार में है या आग्नेयास्त्रों का आयात और निर्यात में है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं रखता है जो राइफल क्लब या एसोसिएशन का सदस्य है, पर लागू नही होती क्योंकि जो व्यक्ति निशानेबाजी को खेल गतिविधि के रुप में अपनाते है, उनके साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 41 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत संघ द्वारा दी गई छूट के संदर्भ में अलग से व्यवहार किया गया है|

ii. “अधिग्रहण” एक शब्द है जिसे शस्त्र अधिनियम के खंड 2(i)(क) परिभाषित किया गया है

शस्त्र अधिनियम की तथा इसमें अन्य व्याकरणिक विविधताओ और सजातीय अभिव्यक्तियों के अलावा किराए पर लेना और उधार लेना शामिल है।

iii. नियम 37 के प्रावधान जिनके अनुसार किसी क्लब या एसोसिएशन का कोई सदस्य भले ही अस्थायी अवधि के आग्नेयास्त्रो धारण कर सकता है या अपने पास रख सकता है, जिसे अन्यथा किसी क्लब या ऐसोसिएशन द्वारा लाइसेंस दिया जा सकता है, तो सदस्य प्रांसगिक समय, धारा 3(2) द्वारा निर्धारित और विनियमित आग्नेयास्त्रो की अधिकतम संख्या से अधिक हथियार रख सकता है अत: सदस्य राइफल क्लब से एक आग्नेयास्त्र उधार ले सकता है और लक्ष्य अभ्यास के लिए इसका उपयोग कर सकता है|

iv. शस्त्र नियम 2016 (जिसे इसमें इसके बाद '2016 नियम संलग्नता' कहा गया है में निहित 'डीलर' शब्द की परिभाषा में नियम 2016) में- न केवल हथियारों का व्यापार करने वाले व्यक्ति बल्कि एनआरएआई और अन्य संगठन भी शामिल किया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि विधायिका ने डीलरों को इस प्रावधान की कठोरता से छूट देना बंद नहीं किया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि जबकि धारा 3(3) आम तौर पर धारा 3(2) द्वारा लगाये गये प्रतिबंधो से छूट देने वाले डीलरों को रोक सकती थी| आम तौर पर धारा 3(2) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए, इसने अतिरिक्त रूप से उस स्थिति पर लागू है जहां किसी संघ या क्लब के

सदस्य के पास अधिकतम निर्धारित सीमा से अधिक बंदूक हो सकती है, लेकिन अतिरिक्त बंदूक अधिनियम और नियमों के अनुज्ञात्मक प्रावधानों के आधार पर उस सदस्य को अस्थायी रूप से एक हथियार रखने में सक्षम बनाता है जो अन्यथा किसी क्लब या संघ द्वारा लाइसेंस दिया और उस अनुमति को कानूनी रूप से उस सदस्य को लक्ष्य शूटिंग या प्रतियोगिता में भाग लेने के प्रयोजनों के लिए उस हथियार का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है, लेकिन धारा को इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है कि सदस्य के पास आने वाले भी समय में हमेशा के एक अग्नि अस्त्र रख सकता है|

v. शस्त्र अधिनियम की धारा 3(3) को निकटता से पढ़ा जाना चाहिए। और एक असंबद्ध केंद्र बिंदु से संपर्क नही किया जा सकता है और किसी एसोसीएशन या क्लब के सदस्य को अस्थायी रुप से दो से अधिक आग्नेयास्त्र रखने की अनुमति वैधानिक रुप से दी जाती है, केवल उस स्थिति में जब उसके पास कोई अतिरिक्त हथियार हो या उसके अधिकार में हो, जिसका लाइसेंस क्लब या एसोसीएशन को दिया जा सकता है|

7. उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने वर्तमान ले.पे.अ. दायर किया है।

8. अपीलकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, का तर्क है कि अधिनियम की योजना और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आग्नेयास्त्र लाइसेंस के तीन श्रेणियां हैं, अर्थात् (क) शस्त्र अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत आने वाले "सामान्य नागारिक को अब, केवल दो आग्नेयास्त्र रखने की अनुमति है, (ख) लक्ष्य साधने के उद्देश्य से (.22 बोर राइफल या एयर राइफल) आग्नेयास्त्र की निर्दिष्ट क्षमता का उपयोग करने वाले मान्यता प्राप्त राइफल क्लब/संघ के सदस्य और (ग) शस्त्र अधिनियम की धारा 41 के तहत अधिसूचना के माध्यम से निपुण लक्ष्य निशानेबाजो को शस्त्र अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत एक "सामान्य नागरिक" को दी जाने वाली दो आग्नेयास्त्रो की सीमा से सामान्य छूट दी जाती है|

9. वह प्रस्तुत करता है कि वह श्रेणी (ख) से संबंधित है वह आगे प्रस्तुत करता है कि श्रेणी (ग) निशानेबाजी को धारा 3(2) के अंतर्गत दो अतिरिक्त अग्नि अस्त्र, निशानेबाजी की श्रेणी अथवा वर्ग जिसके तहत वे अर्हता प्राप्त है, पर अतिरिक्त अग्नि अस्त्र की अनुमति है| वह प्रस्तुत करता है कि एक अर्जुन पुरस्कार विजेता निशानेबाज धारा 3 (2) के तहत प्रदान किए गए दो आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त अन्य सोलह आग्नेयास्त्रों को रख सकता है। इसी प्रकार, एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज/पदक विजेता अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत सामान्य नागरिक को दी गई दो बंदूकों के अलावा 10 से 12 आग्नेयास्त्रों

को रख सकता है। इसी प्रकार एक कनिष्ठ निशानेबाज एंव इच्छुक निशानेबाज को धारा 3(2) के तहत सामान्य नागरिक को प्रदानित दो अग्नि अस्त्र के अतिरिक्त दो अग्नि अस्त्र रखने का अधिकार है|

10. वह प्रस्तुत करता है कि अधिनियम की योजना बहुत स्पष्ट है क्योंकि एक "सामान्य नागरिक" को दो आग्नेयास्त्रों की अनुमति है और एक मान्यता प्राप्त राइफल क्लब/एसोसिएशन के सदस्य अर्थात् "प्रांरभिक निशानेबाज" को लक्ष्य अभ्यास के लिए विशिष्ट क्षमता को एक अतिरिक्त आग्नेयास्त्र की अनुमति है, और अधिनियम की धारा 41 के तहत अधिसूचित और प्रावधानित अनुसार सरल लक्ष्य अभ्यास से "कुशल निशानेबाजो" श्रेणी में स्नातक करने वालेको अधिकतम 16 तक आग्नेयास्त्रो की अनुमति है| उनका कहना है कि एसोसिएशन का सदस्य होने और .22 बोर राइफल रखने की बात स्वीकार करते हुए, उन्हें अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानों के तहत छूट दी गई थी|

11. तथापि, आक्षेपित पत्र व्यवहार द्वारा, गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने शस्त्र अधिनियम के उपबंध की अपनी विशेष व्याख्या लागू की है और यह मत व्यक्त किया है कि धारा 3(3) के सुसंगत प्रावधान केवल राइफल एसोसिएशन के किसी सदस्य को राइफल क्लब/एसोसिएशन से संबंधित आग्नेयास्त्र का उपयोग करने के लिए समर्थ बनाते हैं और ऐसे लाइसेंसी को दिए गए लाइसेंस के आधार पर अतिरिक्त आग्नेयास्त्र रखने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया

है। उनका मानना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पूरी तरह से काल्पनिक आधार पर उपरोक्त पत्र व्यवहार को पढ़ने की कार्रवाई की| अपीलकर्ता कहता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधान में एक गंभीर अर्थहीनता; को महसूस किया, जबकि, वास्तव में, ऐसा कुछ नही था| वह आगे प्रस्तुत करता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारा 3(3) की व्याख्या इस तरह से की कि कथित (लेकिन अस्तित्वहीन) अर्थहीनता से बचा जा सके और अधिनियम की धारा 3(3) के प्रासंगिक प्रावधान को इस हद तक पूरी तरह से पढ़ दिया कि इसे पूरी तरह से अर्थहीन बना दिया जाए|

12. वह प्रस्तुत करता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 3(2), यथा संशोधित, एक सामान्य नागरिक पर लागू होती है और उनके द्वारा हासिल की जा सकने वाली, अपने पास रखने वाली अथवा ले जाने वाली आग्नेयास्त्रो की संख्या को दो तक सीमित करती है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया है कि शस्त्र अधिनियम की धारा 3(3) में धारा 3(2) के लिए सांविधिक छूट निहित है, और यह कि उक्त सांविधिक छूट आग्नेयास्त्रों के डीलर पर लागू होती है, जिसमें एक राइफल एसोसिएशन या एक राइफल क्लब शामिल है, लेकिन इसके आधार पर, राइफल एसोसिएशन

या क्लब के एक सदस्य पर लागू नहीं हो सकती है क्योंकि इससे अर्थहीनता; की स्थिति पैदा होगी और ऐसे सदस्य को बिना किसी सीमा के किसी भी संख्या में आग्नेयास्त्रों को रखने की अनुमति देकर शस्त्र अधिनियम की योजना का उल्लंघन होगा|

13. वह प्रस्तुत करता है कि उपर्युक्त कथित अर्थहीनता को हल करने के लिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 41 ऐसे व्यक्तियों को जो महत्वाकांक्षी, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजों को अधिनियम की धारा 3(2) द्वारा 'सामान्य नागरिक' के लिए विहित दो की सांविधिक सीमा से अधिक आग्नेयास्त्रों को रखने के लिए छूट प्रदान करके ध्यान रखती है|, जबकि साथ ही, शस्त्र अधिनियम की धारा 3(3) के वाक्यांश "राइफल क्लब राइफल एसोसीएशन का कोई भी सदस्य जिसे लक्ष्य अभ्यास के लिए .22बोर राइफल या एयर राइफल या एयर राइफल का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंसअथवा मान्यता प्राप्त है" को पूर्ण रुप से पढकर, केवल यही अर्थ है कि केवल राइफल क्लब एसोसिएशन से संबधित आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने की अनुमति है|

14. वह आगे प्रस्तुत करता है कि विद्वान एकल न्यायधीश ने इस बात का मूल्यांकन न करके तथ्य और कानून की स्पष्ट त्रुटि की है कि सामान्य नागरिक को दो अग्नि अस्त्र तक सीमित करने का सामान्य नियम शस्त्र

अधिनियम की धारा 3(3) के तहत दिया गया है एंव शस्त्र अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत प्रदानित नही किया गया है| वह वर्णित है कि यद्दपि कुछ योग्यता वाले खिलाड़ियों को दो से अधिक आग्नेयास्त्रों रखने की अनुमति देने वाली अधिसूचनाएं शस्त्र अधिनियम की धारा 41 के प्रावधान के तहत जारी की जाती है, लेकिन वास्तव में, उक्त धारा के तहत इसे जारी नहीं किया जा सकता है| वह प्रस्तुत करता है कि धारा 41 एक भिन्न क्षेत्र में कार्य करती है और केंद्रीय सरकार को शस्त्र अधिनियम की धारा 3(2) में निर्धारित दो आग्नेयास्त्रों की सीमा से छूट देने की अनुमति देने वाली शक्ति का एकमात्र स्रोत है, वह शस्त्र अधिनियम की धारा 3(3) के तहत है| वह प्रस्तुत करता है कि एकल न्यायाधीश इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे है कि सभी निशानेबाजो चाहे वे इच्छुक निशानेबाज हो या अर्जुन पुरस्कार विजेता के महत्वाकांक्षी निशानेबाज हों, अनिवार्य रूप से एक राइफल एसोसिएशन के सदस्य होने चाहिए है। शस्त्रों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजों की उपलब्धि बढने से शस्त्रों की संख्या श्रेणीबद्ध योग्यता एंव योगता वाले निशानेबाजो की संख्या बढ़ सकती है| तथापि महत्वाकांक्षी निशानेबाज श्रेणी के नीचे राइफल का वह सदस्य है जो अभी तक एक कुशल निशानेबाज में परिवर्तित नहीं हुआ है। और इसलिए उसे “सामान्य नागरिक” को दी जाने वाली दो आग्नेयास्त्रों के अलावा, एक बुनियादी लक्ष्य प्रशिक्षण राइफल, अर्थात् एक

.22 बोर राइफल या एक एयर राइफल रखने की अनुमति है, ताकि ऐसे व्यक्ति को प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धा करने और निशानेबाजों की पदानुक्रम में आगे बढने की अनुमति मिल सके| वह प्रस्तुत करता है कि शस्त्र अधिनियम की इस विशेषता को नजरअंदाज करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले एक कथित विसंगति उत्पन्न की और फिर इसे संबोधित करने के लिए आगे बढे है, और ऐसा करने में अधिनियम की सरल भाषा की गलत व्याख्या की और उसमें स्पष्ट शब्दों को पढ़ा। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, धारा 3(3) में निहित कानूनी छूट को स्वाभाविक व्याकरणिक अर्थ देना आसान हो जाता है, जो अधिनियम के की गलत व्याख्या नहीं करता है, और अधिनियम की धारा 3(3) के भाग को व्यर्थता प्रदान नही करता है और यह पूरी तरह से अधिनियम की योजना में उपयुक्त बैठता है।

15. वह प्रस्तुत करता है कि दो संभावित दो व्याख्याओं में से अर्थात् एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ली गई और दूसरी जैसा, कि उनके द्वारा आग्रह किया गया है, पहली विस्तारित है अधिनियम के शब्दों की गलत व्याख्या करती है और एक अस्तित्वहीन अर्थहीनता को हल करने के लिए बनाई गई है, जबकि उत्तरार्द्ध अधिनियम और उसके तहत बनाए गये नियमों की योजना और उद्देश्य के अनुरूप है| वह प्रस्तुत करता है कि उसके द्वारा आग्रह किए गए अनुसार व्याख्या अधिनियम को व्यवहारिक और प्रभावी बनाती है

और किसी भी अर्थहीनता; अनुमानित या वास्तविक से बचने के साथ-साथ अधिनियम में शब्दों की अस्वीकृति से बचाती है।

16. इसके विपरीत संयुक्त पुलिस आयुक्त (लाइसेंसिंग), दिल्ली (**प्रत्यर्थी संख्या 2**) की ओर से उपस्थित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के लिए विद्वान अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता श्री शदान फरासत ने प्रस्तुत किया कि धारा 3 (2) के प्रावधानों को समझने के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 2 (1) (क) का संदर्भ लेना आवश्यक अभिव्यक्ति जो 'अधिग्रहण' शब्द को परिभाषित करता है। अधिनियम में "अधिग्रहण" शब्द को किराए पर लेना, उधार लेना या सभी व्याकरणिक विविधताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ एक उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं। श्री फरासत ने तर्क दिया कि उपधारा (2) और (3) की व्याख्या राइफल क्लब या एसोसिएशन के सदस्य द्वारा धारण किये जाने वाले या रखे जाने वाले आग्नेयास्त्रों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि राइफल क्लब या एसोसिएशन के सदस्यों को दो और दो से अधिक आग्नेयास्त्रों को रखने की अनुमति देने का एकमात्र कारण इस स्थिति की; स्वीकृति है कि ऐसे एसोसिएशन या क्लब का सदस्य होने के कारण, वे एक हथियार का उपयोग करने, रखने और धारण करने के भी हकदार हैं जो अन्यथा उस क्लब या एसोसिएशन को लाइसेंस दिया जा सकता है| श्री फरासत के अनुसार,

विधानमंडल ने ऐसी स्थिति के प्रति सचेत रहते हुए उपधारा (2) और (3) में उचित प्रावधान किए गए हैं। किसी भी मामले में यह तर्क दिया गया था कि उन उप-धाराओं को संभवतः इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि किसी क्लब या एसोसिएशन के सदस्य को व्यक्तिगत क्षमता में किसी भी संख्या में आग्नेयास्त्रों को रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। श्री फरासत के अनुसार, यदि अपीलकर्ता की ओर से पेश किए गए तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है और जिसे संघों द्वारा दोहराया जाता है, तो राइफल एसोसिएशन या मान्यता प्राप्त क्लब के सदस्यों को उनके द्वारा रखे जा सकने वाले अग्नि अस्त्रों की कुल संख्या पर किसी भी सीमा के बिना किसी भी संख्या में अग्नि अस्त्रों रखने के लिए यह अर्थहीन परिणाम का कारण बनेगा। श्री फरासत का कहना है कि इस तरह की व्याख्या से शस्त्र अधिनियम और स्वयं धारा 3 के प्रावधानों के साथ गलत व्याख्या होगी।

17. श्री फरासत ने आगे प्रतिवाद किया कि धारा 3(3) स्वयं किसी संघ के सदस्य द्वारा आग्नेयास्त्र को अधिकार को लक्षित अभ्यास के लिए इसके उपयोग से जोड़ती है| यह बताया गया कि 2016 के नियमों के नियम 37 और विशेष रूप से इसकी उप-धारा (4) के प्रावधानों के अनुसार, राइफल क्लब या राईफल क्लब या एसोसीएशन के किसी सदस्य को शस्त्र लेने का अधिकार दिया जाता है जिसके पास या तो उस क्लब या एसोसीएशन का लाइसेंस हो

अथवा परिसर के बाहर विभिन्न उद्देश्यों के लिए जिसमें प्रशिक्षण या लक्ष्य अभ्यास के लिए शूटिंग रेंज में उस शस्त्र का उपयोग या शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए है| यह प्रतिवाद किया गया कि यह केवल इस सीमित सीमा तक है और ऐसी स्थिति को पूरा करने के लिए है जहां एक व्यक्ति किसी संघ या क्लब का सदस्य होने के कारण दो से अधिक अस्थायी रूप से आग्नेयास्त्रों को रखने या रखने के लिए आ सकता है, जो कि उप-धाराएं (2) और (3) को शस्त्र अधिनियम में शामिल किया गया है।

18. जहां तक निश्चित श्रेणियों और खिलाड़ियों के वर्गों को धारा 3(2) में विहित सीमा से अधिक आग्नेयास्त्र रखने की अनुज्ञा देने वाली अधिसूचना का संबंध है, श्री फरासत ने न्यायालय का ध्यान अधिनियम की धारा 41 के उपबंधों और व्यक्तियों या व्यक्तियों के एक वर्ग को छूट प्रदान करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति की ओर आकर्षित किया। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 12.02.2020 की अधिसूचना को केवल इसी दृष्टि से समझा और सराहा जाना चाहिए।

19. श्री फरासत ने अंत में आग्रह किया कि अधिनियम का कोई भी प्रावधान राइफल क्लब या संघों के सदस्यों को विशिष्ट आचरण या स्वतंत्र अधिकार प्रदान नहीं करता है। उनका कहना है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों

में धारा 3 के प्रावधानों की सही व्याख्या की गई है और इस प्रकार वे इस न्यायालय से रिट याचिका को खारिज करने का आग्रह करते है।

20. एनआरएआई के लिए विद्वान अधिवक्ता यहां अपीलकर्ता के तर्क का समर्थन करते हैं।

21. पक्षकारों को सुना और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

22. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायालयों को सामान्यतः विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक शब्द को व्याकरणिक अर्थ देना चाहिए और इस नियम को आमतौर पर तब टाला जाता है जब उपयोग की जाने वाली भाषा अर्थहीन परिणामों का कारण बनेगी।सर्वोच्च न्यायालय ने जी. नारायणस्वामी बनाम जी. पन्नेरसेल्वम, **(1972)3,एससीसी 717** वाले मामले में इसे स्पष्ट किया है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैः

> "4. अधिकारी निश्चित रूप से यह नहीं चाहते है कि न्यायालयों को उस दस्तावेज की व्यापक और उदार भावना से व्याख्या करनी चाहिए जिसमें देश का मूल कानून या उसकी सरकार के मूल सिद्धांत शामिल हैं। "तथापि, मैक्सवेल के कानून की व्याख्या में" "प्राथमिक नियम" "के रूप में वर्णित" "सादे अर्थ" "अथवा" "शाब्दिक" "निर्वचन के नियम को आज किसी भी दस्तावेज का निर्वचन करने में पूरी तरह से त्याग नहीं दिया जा सकता।" "वास्तव में, हम लार्ड एवरशेड, एम. आर. को यह कहते हुए पाते है; आधुनिक कानून की दीर्घता और विस्तार ने निःसंदेह

एकमात्र सुरक्षित नियम के रूप में शाब्दिक निर्माण के दावे को मजबूत किया है।(देखें मैक्सवेल ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, 12वां संस्करण(पृष्ठ 28)।यह हो सकता है कि आधुनिक कानूनों का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें वैधानिक नियम शामिल हैं, व्याख्या के शाब्दिक नियम से कुछ विचलन को पहले की तुलना में वर्तमान अधिक आसानी से उचित ठहराता है **अतीत में लेकिन, व्याख्या और निर्माण (जो व्याख्या से व्यापक हो सकता है) का उद्देश्य हर मामले में कानून निर्माताओं के इरादे को खोजना है (देखें: क्रॉफर्ड ऑन स्टेच्युटरी कंस्ट्रक्शन, 1940 संस्करण, पैरा 157, पृष्ठ 240-42) है। इस उद्देश्य को, स्पष्ट रूप से, पहले सुसंगत उपबंधों में प्रयुक्त भाषा को देखकर ही सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थ निकालने के अन्य तरीकों का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब इस्तेमाल की गई भाषा विरोधाभासी, अस्पष्ट या वास्तव में अर्थहीन; परिणामों की ओर ले जाती है। यह व्याख्या के साथ-साथ निर्माण प्रक्रियाओं का एक प्राथमिक और बुनियादी नियम है, जो लागू किए गए सिद्धांतों की दृष्टि से, दोनों के सामान्य उद्देश्य की दिशा में एकजुट और अभिसरण होता है, जो वास्तविक अर्थ और अर्थ को प्राप्त करने के लिए है, जहां तक यथोचित रूप से संभव हो सके, निर्धारित किया गया है। इसलिए जिस प्रावधान का अर्थ विचाराधीन है निर्माण की किसी भी विधि को लागू करने से पहले उसको जाँच की जानी चाहिए| हम इन प्रावधानों की ओर रुख कर सकते हैं।"**

(जोर दिया गया)

23. एक सामान्य नियम के रूप में, किसी अधिनियम की भाषा को उसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए जैसा वह है। जब विधायिका के आशय में कोई संदिग्धता या अस्पष्टता न हो तो न्यायालयों को अधिनियम की व्याख्या करने या उसका अर्थ निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जे. पी. बंसल बनाम राजस्थान राज्य, **(2003) 5 एस. सी. सी. 134** में इस सिद्धांत की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैः

> **"14. तथापि, जहां शब्द स्पष्ट थे, कोई अस्पष्टता नहीं है, कोई संदिग्धता नहीं है और विधायिका का आशय स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, वहां न्यायालय के लिए सांविधिक उपबंधों में संशोधन करने या उनमें परिवर्तन करने का कार्य करने की कोई गुंजाइश नहीं है। "उस** स्थिति में न्यायाधीशों को यह घोषणा नहीं करनी चाहिए कि वे केवल न्यायिक वीरता के प्रदर्शन के लिए कानून निर्माता की भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें यह याद रखना होगा कि एक रेखा है, यद्दपि वह महीन है, जो कानून से न्यायनिर्णयन को अलग करती है। उस रेखा को पार या मिटाया नहीं जाना चाहिए। इसकी पुष्टि "इसे पार न करने की आवश्यकता की एक सतर्क पहचान और सहज भाव के साथ-साथ ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित अनिच्छा" से की जा सकता है।(देखें: फ्रैंकफर्टः

'एसेज ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस', कोलंबिया लॉ रिव्यू में कानूनों के पठन पर कुछ विचार(पृष्ठ 51)। के साथ|

xxx

16. इसलिए, जहां 'भाषा' स्पष्ट है, वहां विधानमंडल का आशय प्रयुक्त भाषा से एकत्र किया जाना है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अधिनियम में क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया है। एक ऐसा निर्माण जिसके लिए अपने समर्थन, शब्दों के संयोजन या प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है या जिसके परिणामस्वरूप शब्दों की अस्वीकृति होती है, से बचना पड़ता है, जब तक कि यह अपवाद के नियम के अंतर्गत नहीं आता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

आवश्यकता, जो यहां नहीं है।[देखें: ग्वालियर रेयन्स सिल्क एमएफजी (डब्ल्यूवीजी) कं. लिमिटेड निहित वनों का अभिरक्षक [1990 सप्लाई एससीसी 785:ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 1747) (ए. आई. आर. पृ. 1752 पर), श्याम किशोरी देवी बनाम पटना नगर निगम (ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1678) (ए. आई. आर. 1682 पर) और ए. आर. अंतुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक (1984) 2 एस. सी. सी. 500:1984 एस. सी. सी. (क्रिमि.) 277) (एस. सी. सी. पृष्ठ 518 पर।519) है। वास्तव में, न्यायालय कानून को नया रूप नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है।[देखें: केरल राज्य बनाम मथाई वर्गीज [(1986) 4 एससीसी 746:1987 एस. सी.

सी. (क्री.) 3] (एस. सी. सी. पृष्ठ 749 पर और भारत संघ बनाम देवकी नंदन अग्रवाल [1992 अनुपूरक (1) एस. सी. सी. 323:1992 एससीसी (एल एंड एस) 248:(1992) 19 एटी 219:ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 96) (ए. आई. आर. पृष्ठ 101)।)

(जोर दिया गया)

24. निर्माण के शाब्दिक नियम की आवश्यकता है कि न्यायालयों को शब्दों को उनके स्वाभाविक, सामान्य अथवा या लोकप्रिय अर्थ में समझना चाहिए और वाक्यों और वाक्यांशों का अर्थ उनके व्याकरणिक निर्माण के अनुसार किया जाना चाहिए जाता है। विजय नारायण थाटे बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(2009) 9 एससीसी 92** में उच्चतम न्यायालय ने कहाः-

> **"22. हमारी राय में, जब अधिनियम की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट हो तो व्याख्या के शाब्दिक नियम को लागू किया जाना चाहिए और सामान्यतः समानता, लोक हित पर विचार करने या विधायिका के आशय की मांग करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यह केवल तब है जब अधिनियम की भाषा स्पष्ट नही है अथवा संदिग्ध या कुछ टकराव है, आदि अथवा सरल सादी भाषा कुछ अर्थहीनता; ओर ले जाती है कि कोई व्यक्ति व्याख्या के शाब्दिक नियम से अलग हो सकता है।** धारा 6 के परन्तुक का परिशीलन यह दर्शित करता है कि परन्तुक की भाषा स्पष्ट है। इसलिए व्याख्या के शाब्दिक नियम को इस पर लागू किया जाना चाहिए। जब कानून और समानता के बीच टकराव होता है तो कानून को

ही प्रभावी होना चाहिए। जैसा कि लैटिन शब्द dura lex में कहा गया है, जिसका अर्थ है कानून कठिन है लेकिन यह कानून है।"

(जोर दिया गया)

25. शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत के लिए यह भी आवश्यक है कि किसी अधिनियम में प्रत्येक शब्द को प्रभावी किया जाना चाहिए और यह उपधारणा है कि विधायिका द्वारा उपयोग किया गया प्रत्येक शब्द जानबूझकर है। नाथी देवी बनाम राधा देवी गुप्ता, (2005) 2 एससीसी 271 में माननीय उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा हैः

> "**14.** यह समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी अधिनियम का निर्वचन करते समय, विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक शब्द को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अदालतें हमेशा यह मानती हैं कि विधायिका ने किसी उद्देश्य के लिए उसके प्रत्येक भाग शामिल किया है और विधायी मंशा यह है कि अधिनियम के प्रत्येक भाग का प्रभाव होना चाहिए। कोई ऐसा निर्माण जो विधायिका को निरर्थकता की विशेषता प्रदान करता है, वह स्पष्ट प्रारूपण त्रुटियों जैसे बाध्यकारी कारणों के अलावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।(देखें स्टेट ऑफ यू. पी.डॉ. विजय आनंद महाराज (एआईआर 1963 एससी 946:(1963) 1 एससीआर 1, रणंजय सिंह बनाम बैजनाथ सिंह [एआईआर 1954 एससी 749:(1955) 1 एससीआर 671], कनई लाल सुर बनाम परमनिधि साधु [एआईआर 1957 एससी 907:1958 एससीआर 360), न्यादार सिंह बनाम भारत संघ [(1988) 4 एससीसी 170:1988 एससीसी (एल एंड

एस) 934:(1988) 8 एटी 226:ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1979), जे. के. कॉटन एस.पी.जी. और डब्ल्यू वी. जी. को एलटीडी. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एआईआर 1961 एससी 1170] और घनश्यामदास बनाम सीएसटी [एआईआर 1964 एससी 766:(1964) 4 एससीआर 436)।"

26. इस सामान्य सिद्धांत का एक पहलू कि अधिनियम की भाषा को वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए जैसी वह है यह है कि न्यायालयों को किसी अधिनियम में शब्दों को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने से बचना चाहिए क्योंकि यह न्यायालय द्वारा विधान बनाने के बराबर होगा। यहां तक कि जहां किसी कैसस ओमिसस विषय का अस्तित्व है अर्थात अधिनियम को अधिनियमित करते समय विधायिका की ओर से कोई चूक की गई है, वहां न्यायालयों को अधिनियम में शब्दों को शामिल नहीं करना चाहिए। कैसस ओमिसस में एक उपधारणा है और न्यायालय को कानून में केवल तभी शब्दों को शामिल करना चाहिए जब यह आवश्यकता का स्पष्ट मामला हो और ऐसा करने का कारण। कानून के ही चारों कोनों में पाया जाए इस सिद्धांत को पद्मा सुंदर राव बनाम तमिलनाडु राज्य, **(2002) 3 एस. सी. सी. 533** में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिसमें न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैः

> **"15.** रचना के दो सिद्धांत-एक कैसस ओमिसस से संबंधित और दूसरा कानून को समंग्र रुप से पढ़नेके संबध में-**सुव्यवस्थित**

प्रतीत होता है। प्रथम सिद्धांत के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किसी कैसस ओमिसटा की पूर्ति स्पष्ट आवश्यकता के मामले के सिवाय नहीं की जा सकती है और जब इसका कारण स्वयं अधिनियम के चारों कोनों में पाया जाता है तो उसी समय किसी अनुबंधित विषय का तुरंत अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और उस प्रयोजन के लिए किसी अधिनियम या धारा के सभी भागों का अर्थ एक साथ लगाया जाना चाहिए और किसी धारा के प्रत्येक खंड का अर्थ संदर्भ और उसके अन्य खंडों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए ताकि किसी विशेष उपबंध पर रचना किए जाने से संपूर्ण अधिनियम का सुसंगत अधिनियमन हो सके। यह और भी अत्यधिक होगा यदि किसी विशेष धारा का शाब्दिक निर्माण स्पष्ट रुप से अर्थहीन या अंसगत परिणाम देता है जो विधायिका द्वारा अपेक्षित नही हो सकता है| "डांकवर्ट्स, एल. जे. ने आर्टेमियो बनाम प्रोकोपीयू [(1966) 1 क्यूबी 878:" "(1965) 3 अखिल भारतीय रिपोर्टर 539:(1965) 3 डब्ल्यूएलआर 1011 (सीए)] (ऑल ईआर पी.544-I यदि कोई अन्य निर्माण उपलब्ध है तो उसे किसी अधिनियम में लागू नहीं जहाँ शब्दों को शाब्दिक रुप से लागू करना **से, कानून के स्पष्ट इरादे को विफल कर देंगे और पूरी तरह से अनुचित परिणाम पैदा करेंगे, हमें शब्दों की कुछ व्याख्या करनी चाहिए और इस प्रकार उस स्पष्ट इरादे को प्राप्त करना होगा और** तर्कसंगत निर्माण करना होगा [पर लॉर्ड रियड । [ल्यूक बनाम आईआरसी [1963 एसी 557:(1963) 1 आल ईआर 655:(1963) 2 डब्ल्यूएलआर 559 (एचएल)] जहां

> एसी पी.577 उन्होंने यह भी मत व्यक्त कियाः(सभी ईआर पृ.664-I) यह कोई नई समस्या नहीं है, तथापि प्रारूपण का हमारा मानक ऐसा है कि यह शायद ही कभी उभरता है।"
>
> (जोर दिया गया)

27. केवल जब किसी अधिनियम में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ के बारे में संदेह हो, तो न्यायालय के लिए यह उचित होगा कि वह अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य को देखे। ऐसे परिदृश्यों में, निर्माण के उद्देश्यपूर्ण नियम के लिए आवश्यक है कि किसी अधिनियम के शब्दों को उस अर्थ में समझा जाना चाहिए जिसमें वे सामंजस्य स्थापित करते हैं और उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं जिसके लिए अधिनियम बनाया गया था। सामान्य तौर पर जब शाब्दिक निर्माण अर्थहीनता की ओर ले जाता है तो आमतौर पर उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करना पसंद किया जाता है। शैलेश धैर्यवान बनाम मोहन बालकृष्ण लुल्ला, **(2016) 3 एससीसी 619** में, सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देश्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को इस प्रकार समझायाः

> "31. मेरे विद्वान भाई के निर्णय में पहले से बताए गए कारणों के अलावा मेरे द्वारा दिए गए पूर्वोक्त दो कारण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे कि अधिनियम की धारा 15 (2) के प्रावधानों के लिए उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता है ताकि ऐसे उपरोक्त लक्ष्य/उधेश्य को पूरा किया जा सके| **"उद्देश्यपूर्ण व्याख्या" "या" "उद्देश्यपूर्ण निर्माण" "का सिद्धांत इस समझ पर आधारित है**

कि न्यायालय से उन उपबंधों से उस अर्थ को जोड़ने की अपेक्षा की जाती है जो ऐसे उपबंध के पीछे" "उद्देश्य" "को पूरा करते हैं। "मूल दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि इसे क्या पूरा करने के लिए तैयार किया गया है? अन्यथा, व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा न्यायालय से उस लक्ष्य को महसूस करने की अपेक्षा की जाती है जिसे प्राप्त करने के लिए विधिक पाठ तैयार किया गया है। जैसा कि अहरोन बराक कहते है:

> "उद्देश्यपूर्ण व्याख्या तीन घटकों पर आधारित हैः भाषा, उद्देश्य और विवेक। भाषा अर्थ की संभावनाओं की सीमा को आकार देती है जिसके भीतर दुभाषिया भाषाविद् के रूप में कार्य करता है। एक बार दुभाषिया जब सीमा को परिभाषित कर लेता है तो, वह (व्यक्त या निहित) अर्थ संभावनाओं में से पाठ का कानूनी अर्थ चुनता है। इस प्रकार शब्दार्थ घटक है दुभाषिया को कानूनी अर्थ तक सीमित करके व्याख्या की सीमाएं निर्धारित करता है जिसे पाठ अपना (सार्वजनिक या निजी) भाषा में सहन कर सकता है| [अहारोन बराक, पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन इन लॉ (प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2005)।]

"32. उपर्युक्त तीन घटकों में से, अर्थात् न्यायालय की भाषा, प्रयोजन और विवेकाधिकार, जहां तक प्रयोजन संबंधी घटक का संबंध है, यह अनुपात है, जो पाठ के मूल में प्रयोजन है।यह उद्देश्य मूल्य, लक्ष्य, रूचि, नीतियां और लक्ष्य हैं जिन्हें

वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार किया गया है।यह वह कार्य है जिसे पूरा करने के लिए पाठ तैयार किया गया है।

33. हम इस बात पर भी जोर दे सकते हैं कि किसी प्रावधान की सांविधिक व्याख्या कभी स्थिर नहीं होती बल्कि हमेशा गतिशील होती है।यधपि कुछ समय पहले तक व्याख्या के शाब्दिक नियम को "**स्वर्णिम नियम", माना जाता था, अब उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत ही प्रमुख है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां शाब्दिक व्याख्या उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती है या अर्थहीनता; ओर ले जा सकती है। यदि यह एक ऐसा अंत लाता है जो अधिनियम के उद्देश्य से भिन्न है, तो उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। सिर्फ कानूनी विचारको ने ही नहीं** हार्ट और सैक्स जैसे प्रक्रिया विचारकों ने भी सांविधिक व्याख्या के लिए एक महान रणनीति के रूप में इरादतनता को खारिज कर दिया और इसके स्थान पर उन्होंने उद्देश्यवाद की पेशकश की, यह सिद्धांत अब न केवल इस देश में बल्कि कई अन्य कानूनी प्रणालियों में भी व्यापक रूप से लागू होता है।

(जोर दिया गया)

28. उपर्युक्त निर्णयों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम के व्याख्या का सामान्य सिद्धांत यह है कि अधिनियम में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द, उसके साधारण और स्पष्ट अर्थ देना समीचीन है। शाब्दिक निर्वचन के नियम में यह उपबंध है कि किसी अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों को वही अर्थ दिया जाना चाहिए जो उनके स्वाभविक, सामान्य अथवा लोकप्रिय अर्थ में है| लोकप्रिय अर्थ में वही

अर्थ दिया जाना चाहिए जो उनके पास है। यदि निर्माण के शाब्दिक नियम को लागू करने का परिणाम अर्थहीनता; बेतुकापन होता है, तो न्यायालयों को उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत पर भरोसा करना चाहिए, जिसके लिए न्यायालयों से अधिनियम का सामंजस्यपूर्ण तरीके से अर्थ लगाने की अपेक्षा की जाती है, ताकि यह उस उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाए जिसके लिए अधिनियम बनाया गया था। न्यायालयों को साधारण अनुक्रम में किसी अधिनियम में शब्दों को शामिल प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए और ऐसा केवल तभी करना चाहिए जब आवश्यकता का स्पष्ट मामला हो और अधिनियम के चार कोनों के भीतर किया जाना चाहिए।

29. 2019 में संशोधन से पहले, शस्त्र अधिनियम की धारा 3(2) की व्याख्या पर आते हुए, कोई व्यक्ति शस्त्र अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार तीन आग्नेयास्त्रों का अधिग्रहण, धारण अथवा ले सकता था। 2019 में संशोधन के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त, धारण अथवा ले जाने वाले आग्नेयास्त्रो की संख्या तीन से घटाकर दो आग्नेयास्त्र कर दी गई है|

30. इसमें अपीलकर्ता की दलील है कि संशोधन लाने का उद्देश्य केवल अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए है और संशोधन को केवल इस संदर्भ में ही स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस संशोधन का उद्देश्य लाइसेंस धारक व्यक्तियों के कब्जे में आग्नेयास्त्रों की संख्या को कम करना है। यह तथ्य इस

तथ्य से अधिक स्पष्ट है कि 1983 से पहले एक व्यक्ति तीन से अधिक आग्नेयास्त्र रखने का हकदार था, जिसे 1983 में एक संशोधन के माध्यम से घटाकर तीन कर दिया गया था और वर्तमान संशोधन, अर्थात् 2019 में, यह संख्या तीन से घटकर दो कर दी गई है। इस पृष्ठभूमि में शस्त्र अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या करने की आवश्यकता है।

31. शस्त्र अधिनियम की धारा 3(2) दो श्रेणियों के व्यक्तियों से संबंधित है जिन पर अधिनियम की धारा 3(3) का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पहली श्रेणी आग्नेयास्त्रों का डीलर होने के नाते, जो दो से अधिक आग्नेयास्त्रों को प्राप्त कर सकता है और धारण कर सकता है, तथापि, दूसरी श्रेणी अर्थात् राइफल क्लब या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संघ का सदस्य, का संबंध है। शस्त्र अधिनियम में यह प्रावधान है कि ऐसा सदस्य लक्ष्य अभ्यास के लिए तीसरे शस्त्र का "उपयोग" कर सकता है। विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या तीसरे अग्नि शस्त्र का उपयोग करने की अनुमति है जो केवल .22 बोर की राइफल या लक्ष्य अभ्यास के लिए एक एयर राइफल राइफल क्लब या एसोसिएशन के सदस्य को हर समय तीसरे आग्नेयास्त्र को प्राप्त ले जाना, रखने और ले जाने की अनुमति होगी या नहीं। इस समय शस्त्र अधिनियम की धारा 13 का अवलोकन करना उचित है जो लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित है। शस्त्र अधिनियम की धारा 13 इस प्रकार हैः

"13. लाइसेंस प्रदान करना।-(1) अध्याय 2 के तहत लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक आवेदन लाइसेंसिंग प्राधिकारी को किया जाएगा और ऐसे प्रपत्र के रुप में, जिसमें ऐसे विवरण होंगे एवं उस शुल्क के सहित होंगे जैसा कि विहित है|

[(2) आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी से रिपोर्ट माँगेगा और ऐसा अधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट भेजेगा।
(2-क) लाइसेंसिंग प्राधिकारी, ऐसी जांच के बाद, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, और उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा या तो लाइसेंस प्रदान करेगा या उसे प्रदान करने से इंकार करेगा:
बशर्ते कि जहां निकटतम पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी निर्धारित समय के भीतर आवेदन पर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहां लाइसेंसिंग प्राधिकारी, यदि वह उचित समझे, निर्धारित समय की समाप्ति के बाद, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश दे सकता है।] लाइसेंसिंग प्राधिकारी निम्नलिखित की अनुमति देगा -
(क) धारा 3 के अधीन लाइसेंस, जहां लाइसेंस अपेक्षित है -
(i) भारत के नागरिक द्वारा सुरक्षा या खेल के लिए उपयोग की जाने वाली बीस इंच से अन्यून लंबाई वाली चिकनी बोर बंदूक के संबंध में अथवा या सद्भावपूर्ण फसल संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली मजल लोडिंग गन के संबध में,

बशर्ते कि किसी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट हो कि फसल सुरक्षा के लिए एक सरल लोडिंग गन पर्याप्त नहीं होगी, लाइसेंसिंग प्राधिकारी इस तरह के संरक्षण के लिए किसी अन्य स्मूथ बोर गन के संबंध में एक लाइसेंस प्रदान कर सकता है,

(ii) केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त राइफल क्लब या राइफल एसोसिएशन के किसी सदस्य द्वारा लक्षित अभ्यास के लिए उपयोग किए जाने वाले आग्नेयास्त्र के संबंध में|

(ख) किसी अन्य मामले में धारा 3 के अधीन लाइसेंस या धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 10 या धारा 12 के अधीन लाइसेंस, यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति के पास जिसके द्वारा लाइसेंस अपेक्षित है, उसे प्राप्त करने का अच्छा कारण है।""

32. धारा 13 (3) में यह उपबंध है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी को ऐसे सदस्य को लक्षित अभ्यास के प्रयोजन के लिए आग्नेयास्त्र के संबंध में लाइसेंस प्रदान करना होगा। इस तरह के लाइसेंस के बिना, .22 बोर राइफल सहित किसी भी बन्दूक का उपयोग लक्ष्य अभ्यास के लिए नहीं किया जा सकता। शस्त्र अधिनियम की धारा 13 और धारा 3(3) को पढ़ते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि राइफल क्लब या राइफल एसोसिएशन का कोई सदस्य भी दो से अधिक आग्नेयास्त्रों को हासिल नहीं कर सकता है, उनके पास नहीं रख सकता है या अपने साथ नहीं ले जाना सकता है, लेकिन वे केवल टारगेट

प्रैक्टिस के उद्देश्य से तीसरे आग्नेयास्त्रों का उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें शस्त्र अधिनियम की धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा है राइफल क्लब या राइफल एसोशिएशन का कोई भी सदस्य जिसके पास दो आग्नेयास्त्र है, वह लक्ष्य अभ्यास के लिए भी तीसरी बंदूक हासिल नहीं कर सकता, अपने पास नहीं रख सकता, और न ही अपने साथ ले जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना अवैध हो जाएगा और उसे शस्त्र अधिनियम के तहत सजा दी जाऐगी| अधिनियम यदि केंद्रीय सरकार की यह मंशा थी कि राइफल क्लब या राइफल एसोसिएशन का कोई सदस्य हर समय .22 बोर राइफल पास रख सकता, ले जा सकता है तो विधायिका ने इस धारा में "उपयोग" शब्द को शामिल करके इसे प्रतिबंधित ना किया होता। जहां तक राइफल क्लब या एसोसिएशन के सदस्य का संबंध है, उसे केवल एक .22 बोर राइफल अथवा एक एयर राइफल का लक्ष्य अभ्यास के लिए प्रयोग करने की अनुमति है, भले ही उसके पास दो अन्य आग्नेयास्त्र हो| या लक्ष्य अभ्यास के लिए एक एयर राइफल, भले ही उसके पास दो अन्य आग्नेयास्त्र हों।

33. इस मोड़ पर, शस्त्र अधिनियम की धारा 2(1) (क) का उल्लेख करना प्रासंगिक है जो 'अधिग्रहण प्रक्रिया' शब्द को परिभाषित करता है और जिसमें एक आग्नेयास्त्र आर्म को किराए पर लेना और उधार लेना शामिल है। शस्त्र अधिनियम की धारा 2(1) (क) इस प्रकार हैः

"2(i) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) अपने व्याकरणिक भिन्नताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ अधिग्रहण में, किराए पर लेना, उधार लेना या उपहार के रूप में स्वीकार करना शामिल है।

(जोर दिया गया)

34. शस्त्र अधिनियम की धारा 2(1) (क), धारा 3(3) और धारा 13 के पठन से केवल एक निष्कर्ष निकलता है कि राइफल क्लब या संघ का कोई सदस्य जिसके पास पहले से ही दो आग्नेयास्त्र हैं, वह किसी व्यक्ति या राइफल क्लब या एसोशिएशन या उस प्रधिकारी से .22 बोर राइफल या एयर राइफल किराए पर ले सकता है या उधार ले सकता है| जहाँ पर तीसरा अग्नि शस्त्र लक्ष्य अभ्यास से या किसी प्रतियोगिता के उद्देश्य के उपयोग के लिये जमा किया गया है और सीमित अवधि या उसके उपयोग के लिए तीसरे अग्निशस्त्र का अधिकार वैध हो जाता है|

35. शस्त्र अधिनियम की धारा 41 व्यक्तियों की श्रेणियों को शस्त्र अधिनियम के उपबंधों से छूट प्रदान करने की सरकार की शक्ति से संबंधित है। सरकार द्वारा खिलाडियों को तय सीमा से अधिक अग्निशस्त्र रखने की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी की गई| राइफल क्लब या एसोसिएशन का कोई सदस्य अधिनियम की धारा 41 के तहत छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आता है| तीसरी

अग्निशस्त्र रखने की विशेष छूट जिसमे दो आग्नेयास्त्रों के अलावा एक .22 बोर रायफल शामिल है, को शस्त्र अधिनियम की खंड 3(3) में नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि यह किसी व्यक्ति द्वारा रखे जा सकने वाले आग्नेयास्त्रों की संख्या को कम करने के सरकार के उद्देश्य के विपरीत होगा।

36. "उपयोग" शब्द को केवल इसका व्याकरणिक अर्थ दिया गया है और इसका मतलब है कि राइफल क्लब अथवा एसोसिएशन के सदस्य को राइफल क्लब अथवा एसोशिएशन अथवा प्राधिकरण से .22 बोर राइफल अथवा एयर राइफल उधार लेने की स्वतंत्रता होगी जहाँ शस्त्र जमा किया गया है, और उसे लक्ष्य अभ्यास के उद्देश्य से या किसी प्रतियोगिता के ले उपयोग करे और उसे प्राधिकारी को लौटा दे जहाँ से इसे उधार दिया गया है | अन्यथा यह शब्द 'उपयोग' अपनी महत्ता खो देगा यह कैसस ओमिसस का मामला नही है, धारा का लोप का नहीं है जहां न्यायालयों को एक धारा में पढ़ना पड़ता है क्योंकि विधायिका की ओर कोई चूक हुई थी। विधायिका ने जानबूझकर एक ही धारा में विभिन्न अर्थों में 'अर्जित खंडें', 'धारण' और 'उपयोग' शब्दों का उपयोग किया है और इस धारा की व्याख्या करते समय प्रत्येक शब्द को उसका व्याकरणिक अर्थ दिया जाना चाहिए। इस प्रावधान का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि विधानमंडल द्वारा इस्तेमाल किए गए प्रत्येक शब्द को प्रभावी बनाया जा सके और जिस उद्देश्य के लिए यह कानून बनाया गया था, उसे

आगे बढ़ाया जा सके अर्थात किसी व्यक्ति के पास रखे जाने वाले आग्नेयास्त्रों की संख्या को कम किया जा सके।

37. यदि विधायिका का इरादा किसी राइफल क्लब या एसोशिएशन के सदस्य को हर समय के लिए .22 बोर राइफल या एयर राइफल रखने की छूट देना हो तो धारा में केवल यह पढ़ा जाता कि उपखंड (2) में निहित कोई भी बात अग्नेयास्त्रों के किसी भी डीलर अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त या मान्यता प्राप्त राइफल क्लब अथवा राइफल एसोसिएशन के किसी भी सदस्य जिनके पास .22 बोर राइफल और एक एयर राइफल लक्ष्य अभ्यास के लिए पर लागू नहीं होगी| तीसरा अग्निशस्त्र रखने की एकमात्र अनुमति केवल लक्ष्य अभ्यास के लिए इसका उपयोग करने के उद्देश्य से दी गई है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 13(3) के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होती है| लक्ष्य अभ्यास के लिए या किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने की सीमित अवधि के अलावा, राइफल क्लब या राइफल एसोसिएशन का कोई सदस्य तीसरा आग्नेयास्त्र नहीं रख सकता है। यदि ऐसी अनुमति न दी गई होती तो किसी राइफल एसोसिएशन या राइफल क्लब के किसी सदस्य द्वारा लक्ष्य अभ्यास के लिए तीसरा आग्नेयास्त्र रखना अवैध हो जाता जिससे ऐसे व्यक्ति को अधिनियम के तहत कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है।

38. इसलिए इस न्यायालय को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं दिखती है| परिणामस्वरूप अपील खरिज की जाती है|

.....मुख्य न्या.
[सतीश चंद्र शर्मा]

.....न्या.
[एस. सुब्रमोणयम प्रसाद]

नई दिल्ली;
13 अप्रैल, 2023.

राहुल

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*